

18/11
F.N. 22/06 (Retnash)

4412

Trust

IV IV - 21



बिहार BIHAR नं० 4752 टा २ 9/06 जसो देवी पति बालगोविन्द A 54029
 प्रसाद सा एकगार डीह टोला भातु बिगहा थाना एकगार सराय (नातन्दा)

SCANNED BY

1000 + 187 = 1007/-
 बिहार सरकार निबंधन कार्यालय, हिलस
 अवर निबंधन कार्यालय, हिलस नं० 6/92

दिनांक 07/09/2006 को श्री/श्रीमती Jaso Devi
 निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु० 1007/- मुद्रांक शुल्क एवं रु० 2245/-
 अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने
 निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटों, अंगुलियों के निशान
 पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं० 11 के रूप में पुस्तक सं० 4
 CD में आज निबंधित एवं कुल 10+1 पृष्ठों में संघारित किया गया।

Vol. 11 (1-11)

Date : 07/09/2006



हो
 (Prasiant Kumar)
 निबंधन पदाधिकारी

यह दस्तावेज
 निबंधन हेतु
 प्रसाद सा एकगार डीह टोला भातु बिगहा थाना एकगार सराय (नातन्दा)
 जसो देवी पति बालगोविन्द
 नं० 4752 टा २ 9/06
 प्रसाद सा एकगार डीह टोला भातु बिगहा थाना एकगार सराय (नातन्दा)
 जसो देवी पति बालगोविन्द
 नं० 4752 टा २ 9/06

संस्थापक का नाम :- जसो देवी जोसे श्री बालगोविन्द प्रसाद साहित्य-
 एकगार डीह, टोला- भातु बिगहा, पो० वो थाना-
 एकगार सराय, जिला- नातन्दा।

2

Book Deed No : 11
Token No : 221
Reg Year : 2006

Prestype Pres. Code Name with Signature Photo Thumb Index Middle Ring Little

Self Jaso Devi

328
5/22/06

जसो देवी का. विमानगाम

7/9/06

Jaso Devi



Little

329
5/22/06

इंदिरा चक्रवर्ती

7/09/06

byarika
Pd.Chakravarti



330
5/22/06

अरविन्द प्रसाद

7/09/06

Arvind Prasad



331
5/22/06

लला महेश्वरी

7/09/06

Lala Maheshwari
Pd.



332
5/22/06

उमाकान्त कुमार

7/9/2006

Umakant Kumar





1R

नं० 4753

ता 7⁹/₀₆ वसंत

राज्य - उत्तरप्रदेश

दस्तावेज का नाम :-

नक्षत्री नामकरण कार्य, सार्वजनिक विभाग, नालन्दा, हा। नालन्दा।
बा० नं०-6/92

1. दारिका प्रसाद चक्रवर्ती वलद स्व० बाबुलाल प्रसाद सावित्री- स्कंकरहीड टोला- भातु बिगहा, पो०- वो धाना- स्कंकर सराय, जिला- नालन्दा, पेशा- किसान, पद- अध्यक्ष ।
2. श्रीविन्द प्रसाद वलद श्रीवातगोविन्द प्रसाद सावित्री- स्कंकर हीड टोला- भातु बिगहा, पो० वो धाना- स्कंकर सराय, जिला- नालन्दा, पेशा- किसान, पद- सचिव ।
3. लाला महेश्वरी प्रसाद वलद स्व० शिवल प्रसाद सावित्री पो० वो धाना- स्कंकर सराय, जिला- नालन्दा, पेशा- सरकारी/ सरकारी, व्यवसाय, पद- कोषाध्यक्ष ।
4. उमाकांत कुमार वलद राजेन्द्र प्रसाद सावित्री- मिलकीपर, पो० वो धाना- स्कंकर सराय, जिला- नालन्दा, पेशा- किसान, पद- सदस्य ।
5. दौलती देवी जौजे श्री सच्चिदानन्द प्रसाद सावित्री- बाहापर, पो०- कराय परपुराय, धाना- कराय परपुराय, जिला- जिला, पेशा- गृहीणी, पद- सदस्य ।

राज्य - उत्तरप्रदेश
नक्षत्री नामकरण कार्य
सं. नालन्दा, हा। नालन्दा।
बा० नं०-6/92

7/9/06
सं. नालन्दा - हा। नालन्दा

नक्षत्री नामकरण कार्य
सं. नालन्दा, हा। नालन्दा।
बा० नं०-6/92



क्र. 4754

तारीख 7/9/06

राजीव गांधी

3. कार्यक्षेत्र :- इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र ^{सुदूर} बिहार होगा। ज्योती एगुकेजल ट्रस्ट का स्मृती - पत्र ।
4. ट्रस्ट का नाम एवं सम्पत्ति मूल्य :- 50,000 रुपया (पचास हजार रुपये मात्र) ज्योती एगुकेजल ट्रस्ट ।
5. ट्रस्टी का स्थान :- भोजा स्कंजर डीह, टोला-भातु बिगहा, पो थाना नं० 120, अंवल - स्कंजर सराय, नालन्दा, तब रजिस्ट्री कस्बा हिलसा, तदर रजिस्ट्री पो जिला नालन्दा ।
6. उद्देश्य :- इस ट्रस्ट का निम्नीलिखत उद्देश्य होगा :-
 - क) शिक्षण ट्रस्ट की स्थापना कर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर शिक्षा उपलब्ध कराना ।
 - ख) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण देना ।
 - ग) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों एवं अन्य लोगों को समाज के सर्वांगीण विकास हेतु पुरतकाल्य एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध कराना ।
 - घ) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से विवकलांग, अनाथ एवं गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा-सुव पुस्तके उपलब्ध कराना ।
 - ङ) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से देहाती बच्चों को शिक्षण

ए.बी. डार वि. म. ला. ए.
 ए.बी. डार वि. म. ला. ए.
 ए.बी. डार वि. म. ला. ए.





क्र ११ ५५

दि ७^१/_{०६} १९४०

चित्तौड़ नगरपालिका

१. सदस्यता :-

कोई भी स्त्री -पुरुष जिनकी उम्र १८ वर्ष या अधिक की होगी तथा ट्रस्ट के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हों वे इस ट्रस्ट का सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिनकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य को १००/रुपया प्रवेश शुल्क १००/रुपया मासिक शुल्क देना होगा।

२. सदस्यता से समाप्ति :-

निम्न कारणों से सदस्यता समाप्त किया जा सकता है:-

१. स्वयं त्याग पत्र देने पर।
२. पागल या मृत्यु होने पर।
३. समिति द्वारा अविवाहित प्रस्ताव पारित होने पर।
४. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
५. लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
६. लगातार तीन बेरों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।



७. पदाधिकारी के अधिकार एवं कार्य :-

सदस्यता शुल्क १००/रुपया
मासिक शुल्क १००/रुपया
प्रवेश शुल्क १००/रुपया
दि ७^१/_{०६} १९४०

सदस्यता शुल्क १००/रुपया



क्रा 4756

ता 7⁹/₁₀ 1922

राम राम राम

बकरी... (मालन्दा)

क्रा नं 892

2. कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।
3. किसी विषय में समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
4. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

संघ:-

जारी देव 91. Pawan Singh

7/9/22

1. ट्रस्ट के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
2. ट्रस्ट की ओर से सभी प्रकार का पत्राचार करना ।
3. निधि का अंश करना एवं आय- व्यय लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
4. कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारी की नियुक्ति एवं कर्तव्यी के आदेश पारित करना ।
5. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

पारित किया



Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and some illegible text.

निर्वाह

1. आय- व्यय का लेखा रचना ।
2. प्रवेश पुस्तक, सदस्यता पुस्तक, दान, चन्दा प्राप्त कर रसीद देना ।
3. ट्रस्ट के कोष को किसी बैंक या डाकघर में जमा करना ।
4. आवश्यकतानुसार अपने पास 5000 रुपया तक रखना है तथा विशेष कार्य के लिए समिति से प्राप्त कराकर कार्य करना ।

10. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-



1Re

नं 4757

ता 7 9 06

सचिव - नगरपालिका
 नयाँ बजार, काठमाडौं, नेपाल
 दिनांक ०७/१२/२०१६
 नं. ०७/१२

- ३. शाखा उपशाखा का निर्माण करना ।
- ४. उपेक्ष्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

11. प्रस्तावित बैठक :-

एक तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक का आयोजन करना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि में बैठक को आयोजित नहीं करते है तो आवेदन होगा । आवेदन में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकता है ।

12. बैठक :-

- 1. कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी ।
- 2. आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रिल में होगी ।
- 3. आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की विशेष कभी भी बुलाई जा सकती है।

13. गणपूर्ति :-

प्रत्येक बैठक का गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा ।

14. बैठक की सूचना :-

- 1. आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- 2. आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी।



श्री लाल शर्मा शर्मा
 सचिव जो सदी २०१६
 नयाँ बजार नगरपालिका
 नं. ०७/१२-०६



ना 4758

ना 7 ⁹/₀₆ वमर

महाराष्ट्र राज्य सरकार
 नगरपालिका
 निकायन
 १९७६/७७

5. बैक की सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जायेगी ।

15. आय का स्रोत :-
 =====

1. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क ।
2. सरकारी एवं गैरसरकारी दान, अनुदान, सहायता ।
3. शिक्षण ट्रस्ट को वचो द्वारा दिया गया शुल्क ।

16. कोष का संचालन :-
 =====

ट्रस्ट के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर से जमा किया जायेगा, जिनकी निकासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

17. निधि का अक्षेप :-
 =====

ट्रस्ट का आय- व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अक्षेप से प्रतिवर्ष अक्षेप कराया जायेगा ।

18. पंजी की निरीक्षण :-
 =====

ट्रस्ट की सभी पंजीयों निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकता है ।

19. नियमावली में संशोधन :-



नॉ 4759

नॉ 7 $\frac{9}{06}$ 94/11

10
 सत्यमेव जयते
 लक्ष्मी नारायण प्रसाद, सहायक सचिव
 निवृत्त
 नॉ नं: 6/92

20. कानूनी कार्यवाही एवं विप्लव :-

1. ट्रस्ट पर या ट्रस्ट के द्वारा कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगा तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की स्लाह से की जायेगी ।
2. ट्रस्ट का विप्लव ट्रस्ट अधिनियम 1950 के धारा 13 के अंतर्गत में सरकार का अनुमोदन प्राप्त के बाद ही लिया जायेगा ।
3. आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही लिया जा सकता है ।
4. विप्लवोपरान्त जो चल या अपल सम्पत्ति बचेगा वह किसी सदस्य या गैरसदस्य में नहीं बाटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

21. आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना ।
2. अधिवक्ता का नियुक्ति कराना ।
3. आय- व्यय लेखा पर विचार रखना एवं पारित करना ।
4. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

रिक्त बाण्डा रविन्द्र कुमार नाथ नं
 2 मास्युन मनमोहिन खुर पटकर को
 विचारक सम सिया वो फसो विरान के पारि संधि
 गृहीतों के विधान मे द्वारा लिये गये हे ।
 विषय नुमार ; सिविल कोर्ट दिल्ली इलाहाबाद



Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64a
 Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

(11)


Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs.

1007

Fee Paid

A1	2000	K1c	0	Liii	0	Tot Reg Fee	2245
J1	0	K2	0	Na	45		
K1a	0	Li	0	Scan	200		
K1b	0	Lii	0				


Date : 7.9.06



 Registering Officer

Endorsement under section 52

Presented for registration at _____ on the day , _____ at the
Hilsa D. R. O/ Sub_Registry Office by **Jaso Devi**
 son/wife of **W/O Shri Balgobind Pd.** by profession **House Wife**
 (Executant or attorney for _____, one of the executants or claimants under
 a power no. _____ for 20_____ authenticated by sub-registrar of
 _____)

Signature of Presentant



 7/9/06



Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument.


Date : 7.9.06


 Registering Officer

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book **1** of DSRO/ SRO **Hilsa** having **10 pages** in the volume **CD-2**
 and document no. of which is printed on the first page of the document.

Date : 7.9.06


 Registering Officer